-1.

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ..../....निगा-/2374-I-16......

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्री रमेश प्रसाद मरकाम पिता कमल सिंह मरकाम
निवासी ग्राम डुगरिया थाना बरगी जिला जबलपुर।

विरूद्ध -

अनावेदक - 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर
2. श्री रवि अग्रवाल पिता श्री मोतीचंद अग्रवाल
निवासी सदर केन्ट तहसील व जिला जबलपुर ।

अपील अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1- माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 06/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दि 20/06/2016 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. **भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी श्री रमेश प्रसाद मरकाम पिता कमल सिंह मरकाम निवासी ग्राम ग्राम डुगरिया थाना बरगी जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **पड़रिया** प.ह.नं. 48/63(बरबटी) रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 88, 122 रकवा क्रमशः 0.33, 0.69हे. कुल रकवा 1.02हे. भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री रवि अग्रवाल पिता श्री मोतीचंद अग्रवाल निवासी सदर केन्ट तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 12/10/2015 (Annexure-2) म.प्र. **भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत्** कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3- प्रकरण में तहसीलदार जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक **14**/अ-21/15-16 में प्रतिवेदन दि. 21/03/2016 (Annexure-3) में प्रतिवेदित किया गया कि भूमि विक्रय अनुमति उपरांत कुल 4.56 हेक्टेयर भूमि शेष बचेगी। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तथा आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि असिंचित है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो रहा है और भूमि विक्रय से आदिवासी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

4- तहसीलदार के उक्त प्रतिवेदन को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक **08**/अ-21/15-16 में प्रतिवेदन दि. 28/03/2016 (Annexure-4) के माध्यम से अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु कलेक्टर जबलपुर को अग्रेषित किया गया है।

रमेश

NOTARY MOHAMMED ASHFAQUE JABALPUR DIST M.P. Regd. No. 7829 GOVT. OF INDIA

11 JUL 2016

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 2374–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–7–16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/अ–21/15–16 में पारित आदेश दिनांक 20–6–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पड़रिया प.ह.नं. 48/63 (बरबटी) रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 88, 122 क्रमशः रकबा 0.330, 0.690 कुल रकबा 1.02 हैक्टर भूमि गैर आदिम जनजाति सदस्य श्री रवि अग्रवाल को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर	

नि०ग०- 2374.I/16 गौरेला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कलेक्टर द्वारा आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के बताए गए कारण को समाधान कारक नहीं मानते हुए निरस्त किया है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि कलेक्टर द्वारा जो आधार आवेदन को निरस्त करने के लिए दिए हैं वे विधिसम्मत नहीं हैं । उनके द्वारा कहा गया कि विक्रय की जा रही भूमि उनकी निजी भूमि है । कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा केवल इस आधार पर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति नहीं दी गई है कि आवेदक आदिम जनजाति सदस्य है और शासकीय योजना के तहत अनुदान प्राप्त कर बोरिंग करा सकता है । कलेक्टर द्वारा दर्शाया गया कारण समाधानकारक नहीं है क्योंकि प्रथमतः कलेक्टर द्वारा स्पष्टतया उल्लेख नहीं किय गया कि किस योजना के तहत अनुदान प्राप्त कर बोरिंग कराई जा सकती है । इसके अतिरिक्त आवेदक के पास पर्याप्त भूमि है वह बिना किसी सहायता के बोरिंग कराकर कृषि करना चाहता है । अतः अनुदान लेने के लिए उसे विवश किया जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है । अतः उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । मेरे द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने जो प्रतिवेदन प्रेषित किया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, आवेदक के पास क्रय करने के उपरांत आई है । आवेदित भूमि कम असिंचित एवं एक फसली है । आवेदक अपनी शेष भूमि के विकास हेतु भूमि विक्रय करना चाहता है । भूमि विक्रय करने से आवेदक पर	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 2374–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विपरीत असर नहीं पड़ेगा । प्रस्तावित विक्रय में आवेदक पर कोई दबाव/प्रलोभन नहीं है । उक्त भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास अन्य ग्रामों में 4.56 हैक्टर भूमि और शेष बचती है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है तथा यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की ग्राम ग्राम पड़रिया प.ह.नं. 48/63 (बरबटी) रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 88, 122 क्रमशः रकबा 0.330, 0.690 कुल रकबा 1.02 हैक्टर भूमि को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1– यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– क्रेतागण द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3– भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	